

**Copy of Recognition**  
**Indian National Public School**

प्रकाश  
सेवा में  
प्रवन्धक  
नेशनल  
इंडियन पब्लिक स्कूल  
सर्टर-2-नाथन

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोतमबुधनगर

पत्रांक / मान्यता 1814-1857/1998-99 दिनांक 12/11/99

विषय:- प्राईमरी प्रस्तर की स्टाई / ~~प्रवन्धक~~ मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

वत् विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षण की आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 12/11/99 के प्रस्ताव सख्या (50) के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिवन्धों के साथ स्टाई / ~~प्रवन्धक~~ प्राईमरी स्तर एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जौलाई 98 से मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिवन्ध

- 1- प्रवन्धीकरण की विनियम वर्णित एक्ट के अर्न्तगत धेतन का मृगतान करना होगा ।
- 2- प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाये ।
- 3- विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाये।
- 4- छात्रों से निधारित त गूल्ल लिया जाये ।
- 5- विद्यालय की प्रवन्धक समिति का अनुमोदन कराना अनिवार्य
- 6- आवश्यकतानुसार विज्ञान / फि A / शिक्षाण एवं समाज पयोगी सामाग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये।
- 7- किना किनाग अनुमोदन के नियुक्त न किया जाये ।
- 8- विद्यालय की प्रगति 30 जून 99 तक अकत कराये।

भाक्दीय

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोतमबुधनगर

प0 स0/ मान्यता 1814-1857/1998-99 दिनांक 12/11/99

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- समाज कल्याण अधिकारी गोतमबुधनगर
- 2- सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी गोतमबुधनगर

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोतमबुधनगर



मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैथिक)

सेवा में,

प्रबन्धक,

इंडियन नेशनल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,

ई-78 ए सैक्टर 20 नारड़ा,

४ गाजियाबाद ३

दिनांक 14.3.96

पत्रांक सं० शि० सं०/१०५२५-२७/९५-९६

विषय:— ब्रह्मसूत्रोपनिषद् भाष्यसहित सूत्र (कक्षा 6 से 8 तक)। "ब" श्रेणी की सामान्यता के विषय में।

महोदय/महोदया

महोदय/महोदया

शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18 एच. (7) 89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निष्पत्तियोंनुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक 'ब' श्रेणी की मान्यता ग्रह आदेश निर्गत होने की विधि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक बर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रश्न का जाता है। प्रत्येक कक्षा हेतु शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणीतर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक

एक

सहायक अध्यापक

चार

लिपिक

एक

चतुर्थं श्रेणी कर्मचारी

एक

उक्त जनशक्ति में विभाषा / प्रसार / कास्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदिशों का पालन न करने की स्थिति में मायगा प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भक्तियोग

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

प्रथम मण्डल, मेरठ ।

दिनांक: .....

पृ० सं० शि० सं० ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अपर जिला निदेशक (बेसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
- 2- सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 3- समस्त जिला बेसिक अधिकारी मेरठ मण्डल, मेरठ । गाजियाबाद
- 4- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ।
- 5- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ।
- 6- उप विद्यालय निरीक्षक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद । गाजि
- 7- कार्यालय गाँव फाईल ।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ।